3
सहायता प्राप्त करें

आपकी सहायता करने के लिए कई सेवाएँ उपलब्ध हैं. अंतरराष्ट्रीय छात्रों और विज़िटर सहित कोई भी व्यक्ति/महिला इन सेवाओं से सहायता और मदद प्राप्त कर सकता/सकती है.

चिकित्सा सहायता

अगर आपका यौन उत्पीड़न हुआ है, तो आप किसी भी सार्वजनिक अस्पताल के आपातकालीन विभाग से मुफ़्त चिकित्सीय देखभाल प्राप्त कर सकते/सकती हैं. एनएसडब्ल्यू स्वास्थ्य की विशेषज्ञ यौन उत्पीड़न सेवाएँ दिन में 24 घंटे मुफ़्त में उपलब्ध हैं (आपको किसी मेडिकेयर कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी).

ये सेवाएं यौन उत्पीड़न से पीड़ित किसी भी पुरुष/महिला के लिए मुफ़्त जानकारी, परामर्श, चिकित्सा उपचार और जाँच प्रदान करती हैं. ये यौन संक्रमित संक्रमणों की जाँच और गर्भाधारण की रोकथाम के लिए सहायता प्रदान कर सकती हैं.

चिकित्सीय प्रमाण यह साबित करने में मदद कर सकते हैं कि क्या हुआ. यौन उत्पीड़न की जाँच को पहले 24 घंटों में किया जाना सबसे अच्छा होता है. अगर यौन उत्पीड़न के मामले को अदालत में ले जाया जाता है, तो अदालत में पेश करने के लिए यौन उत्पीड़न की घटना के सात दिनों बाद तक की जाने वाली जाँच महत्वपूर्ण साक्ष्य होती है.

आपकी निकटतम सेवा

सिडनी यौन उत्पीड़न सेवा, जो कैंपरडाउन में रॉयल प्रिंस अल्फ्रेड अस्पताल में स्थित है.
9515 9040 (जब खुला हो)
9515 6111 (बंद होने के बाद और सप्ताहांतों में)

कानूनी सहायता

मुफ़्त कानूनी सेवाएँ आपको आपके विकल्पों के बारे में गोपनीय सलाह दे सकती हैं. ये सलाह आपके रहने, शिक्षा और कार्यस्थल की व्यवस्था के साथ-साथ पुलिस को रिपोर्ट करने से संबंधित हो सकती हैं.

नीचे दी गई विशेषज्ञ कानूनी सेवाएँ मुफ़्त हैं.

महिलाओं के लिए कानूनी सेवा एनएसडब्ल्यू
1800 801 501 | wlsnsw.org.au

रेडफर्न कानूनी केंद्र
एनएसडब्ल्यू अंतरराष्ट्रीय छात्र कानूनी सेवा
9698 7277 | rlc.org.au

इनर सिटी कानूनी केंद्र
विशेषज्ञ लेस्बियन, समलैंगिक, बाइसेक्शूअल, ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स और क्वियर सेवा:
1800 244 481 | iclc.org.au

यौन उत्पीड़न पीड़ित सेवाओं से सहायता पाने के लिए

अगर आप यौन शोषण के/की शिकार हैं, तो आप परामर्श और वित्तीय सहायता सहित एनएसडब्ल्यू की कई मुफ़्त यौन शोषण पीड़ित सेवाओं से सहायता प्राप्त कर सकते/सकती हैं.

यौन उत्पीड़न पीड़ित एक्सेस लाइन
1800 633 063 मुफ़्त कॉल
(24 घंटे, सप्ताह के सातों दिन)

पुलिस को रिपोर्ट करना

यौन उत्पीड़न एक अपराध है. अपराध का शिकार होना आपके वीज़ा या रोजगार की स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा.

ऑस्ट्रेलिया में पुलिस आपकी रिपोर्ट की जाँच करेगी और आपकी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रिपोर्ट पर कार्यवाही करेगी. आप नीचे दिए गए तरीकों से पुलिस को रिपोर्ट कर सकते/सकती हैं:

- (000) तीन बार शून्य पर कॉल करके
- व्यक्तिगत रूप से पुलिस स्टेशन में जाकर
- 1800 333 000 पर अपराध रोकथामकर्ता के माध्यम से गुमनाम रूप से घटना की रिपोर्ट करके

सहायता सेवाएँ भी पुलिस को रिपोर्ट करने में आपकी मदद कर सकती हैं.

यह पहल इनके द्वारा समर्थित है
CITY OF SYDNEY 2030 | Redfern Legal Centre | NSW GOVERNMENT

Hindi

आपका शरीर आपकी मर्जी

यौन उत्पीड़न एक अपराध है.

यह कभी भी उचित नहीं होता है कि आपसे बलपूर्वक या आपको धमकी देकर ऐसी हरकतें करवाई जाएँ, जिसमें आप असहज महसूस करें.

अगर आपके साथ या आपकी जानकारी के किसी व्यक्ति के साथ किसी तरह का कोई यौन उत्पीड़न हुआ है, तो आपको निम्नलिखित जगहों से सहायता मिल सकती हैं:

एनएसडब्ल्यू पुलिस: 000 (तीन बार शून्य) पर कॉल करें

एनएसडब्ल्यू बलात्कार संकट: 1800 424 017 पर कॉल करें (मुफ़्त कॉल, 24 घंटे, सप्ताह के सातों दिन)

मुफ़्त दुभाषिए: 131 450 पर अनुवाद और दुभाषिया सेवा (TIS) को कॉल करें. आपकी ओर से अनुरोध की गई मुफ़्त सहायता सेवा के लिए एक दुभाषिया आपसे संपर्क करेगा.

1 अपने अधिकारों के बारे में जानें

2 किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें

3 सहायता प्राप्त करें

1 अपने अधिकारों के बारे में जानें

किस व्यक्ति के साथ अंतरंग होना है, इसका चयन करना आपका अधिकार है. सेक्स और अंतरंगता में यौन स्पर्श, संभोग, यौन चित्र और सेक्स्टिंग (यौन संदेश भेजना) शामिल हो सकते हैं. अगर आप इनमें से किसी भी गतिविधि के लिए अपनी इच्छा से तैयार नहीं हैं और आपको इन गतिविधियों में बलपूर्वक शामिल किया जाता है, तो यह एक अपराध है.

ऑस्ट्रेलिया में कोई भी व्यक्ति आपकी मर्जी के बिना आपको छू नहीं सकता, आपको धमका नहीं सकता, आपके साथ अवांछित यौन चित्रों का आदान-प्रदान नहीं कर सकता या आपके बारे में यौन टिप्पणियां नहीं कर सकता. यौन अपराध एक गंभीर अपराध है और अपराधी को 14 साल तक की जेल हो सकती है. किसी अपराध की रिपोर्ट करना या अपराध का शिकार होना आपके वीज़ा या रोजगार की स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा.

यौन उत्पीड़न क्या होता है?

यौन उत्पीड़न में कई प्रकार के यौन अपराध आते हैं, जिनमें शामिल हैं:

- **बलात्कार**, जब आपको बलपूर्वक यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता है (योनि, गुदा या मौखिक)
- **अनचाहा स्पर्श**, कपड़ों के अंदर या ऊपर किसी भी तरह का स्पर्श
- **कंडोम हटाना**, आपकी सहमति के बिना यौन क्रिया से पहले या बीच में
- **यौन संबंधी ज़बरदस्ती**, जब कोई व्यक्ति बलपूर्वक या चालाकी से आपको यौन संबंधी गतिविधियाँ करने के लिए मजबूर करता है
- **पीछा करना**, जब कोई व्यक्ति बुरी नीयत से आपका पीछा करता है या छिपकर आपको घूरता है
- **आपकी अनुमति के बिना आपको देखना**, जब आप अंतरंग हों या नग्न हों
- **अश्लील रूप से शरीर के अंग दिखाना**, जब कोई व्यक्ति आपको अपने शरीर के निजी अंगों को दिखाता है
- **पोर्नोग्राफ़ी (अश्लील चित्र/वीडियो या अश्लील पुस्तक) देखने या उसमें भाग लेने के लिए मजबूर करना**, इसमें आपकी सहमति के बिना आपकी फ़ोटो खींचना, आपको बलपूर्वक किसी अश्लील वीडियो में भाग लेने के लिए मजबूर करना या आपको कोई अश्लील मूवी देखने के लिए मजबूर करना शामिल है.
- **सेक्स्टिंग**, आपकी सहमति के बिना आपकी नग्न तस्वीरों को अन्य लोगों के साथ शेयर करना या उन्हें भेजना.

यौन सहमति क्या होती है?

अपनी इच्छा से सहमति देना

जब आप बिना किसी दवाब, मजबूरी या मादक-पदार्थ या शराब के नशे के प्रभाव के बिना सहमति देते/देती हैं.

उन्माद

यौन क्रिया में आपको केवल ऐसी चीज़ें करने के लिए सहमति देनी चाहिए जो आप करना चाहते/चाहती हैं, न कि वे चीज़ें जो आपका पार्टनर आपसे करने की उम्मीद करता/करती है.

विशिष्ट

किसी बात के लिए सहमति देने (जैसे, बैडरूम में जाने) का मतलब यह नहीं है कि आपने कुछ अलग बातों के लिए भी सहमति दे दी है (जैसे यौन क्रिया करना). अगर कोई कंडोम का इस्तेमाल करने के लिए राज़ी हो जाता है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करता है, तो यह सहमति नहीं है.

निर्णय बदलना

यौन क्रिया के दौरान आप किसी भी समय अपना इरादा बदल सकते/सकती हैं, चाहे यौन क्रिया करने से ठीक पहले और चाहे उस समय जब आप दोनों बिस्तर में नग्न अवस्था में हों.

समय सीमा

एक बार सहमति देने का मतलब यह नहीं है कि आपने उसी बात के लिए दूसरी बार के लिए भी सहमति दे दी है.

मौन का मतलब सहमति नहीं होता है

कई लोग जब बहुत डरे होते हैं, तो कुछ बोल नहीं पाते हैं. अगर आप कुछ बोल नहीं पाए/पाई, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपने सहमति दे दी है.

अगर आपका यौन शोषण या उत्पीड़न हुआ है, तो आपके लिए सहायता और समर्थन उपलब्ध है.

2 किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें

किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार के सदस्य या परामर्श सेवा के साथ बात करके आपको आगे की जाने वाली कार्यवाही तय करने में सहायता मिल सकती है. यहाँ तक कि अगर आप यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट न करने का निर्णय लेते/लेती हैं, तो भी ऐसी कई जगहें हैं जहाँ आप गोपनीय रूप से मुफ़्त में सहायता और समर्थन पा सकते/सकती हैं.

एनएसडब्ल्यू बलात्कार संकट
एनएसडब्ल्यू में ऐसी महिलाओं और पुरुषों व उनके शुभचिंतकों के लिए टेलीफ़ोन और ऑनलाइन संकट परामर्श सेवा प्रदान करता है, जिनका यौन उत्पीड़न हुआ है या जिन्हें यौन उत्पीड़न का खतरा है.

1800 424 017
(मुफ़्त कॉल, 24 घंटे, सप्ताह के सातों दिन)
nswrapecrisis.com.au

लेस्बियन समलैंगिक ट्रांसजेंडर बाइसेक्शूअल इंटरसेक्स और क्वियर (LGBTIQ) विशिष्ट:

QLife
सभी उम्र के लोगों को टेलीफ़ोन और वेब आधारित सहायता प्रदान करता है.

1800 184 527
दोपहर के 3 बजे से लेकर मध्यरात्रि तक, सप्ताह के सातों दिन